प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 23.01.2025 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयीः-

1-अवैध तमंचा, कारतूस के साथ 01 गिरफ्तार थाना बिलारीः-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु, चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 23.01.2025 को थाना बिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्त **आसिफ पुत्र बाबू नि0मौ0 अन्सारियान कस्बा व थाना बिलारी मुरादाबाद** को 01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 कारतूस जिन्दा 12 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना बिलारी पर मु0अ0सं0-41/2025 धारा -3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया है, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

आसिफ पुत्र बाबू नि0मौ0 अन्सारियान कस्बा व थाना बिलारी मुरादाबाद

बरामदगी-

01 अवैध तमंचा 12 बोर, 01 कारतूस जिन्दा 12 बोर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

उ0नि0 जयवीर सिंह
का0 मनोज सिंह थाना बिलारी मुरादाबाद

2-थाना डिलारी पुलिस द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने के 06 आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध नियंत्रण, कानून एवं शान्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 23.01.2025 को थाना डिलारी पुलिस द्वारा अभियुक्त 1-ईदरीश उर्फ शब्बू पुत्र खुर्शीद बेग निवासी रहटामाफी थाना डिलारी मुरादाबाद 2-नईम पुत्र रईश बेग निवासी रहटामाफी थाना डिलारी मुरादाबाद 3-शहजाद पुत्र बाबूखान नि0 मौहल्ला जमाना वाला वार्ड न0 03 कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा जनपद मुरादाबाद 4-अकील पुत्र रफीक खान नि0मौहल्ला कुरेशियान वार्ड न0 14 कस्बा व थाना ठाकुरद्वारा 5-सलमान पुत्र दिलशाद नि0गण ग्राम काजीपुरा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद 6-तहजीब पुत्र अरमान अहमद निवासी काजीपुरा थाना डिलारी जिला मुरादाबाद को संज्ञेय अपराध कारित करने से रोकने एवं परिशान्ति कायम रखने हेतु अन्तर्गत धारा-170/126/135 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

3-थाना बिलारी पुलिस द्वारा, हत्या के वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

अवगत कराना है कि दिनांक 21.01.2025 को वादिनी राजेश्वरी पत्नी सुनील कुमार नि0 ग्राम पीपली चक थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद ने अभियुक्त द्वारा वादिनी के पति सुनील पुत्र स्व0 सोमपाल सिंह निवासी ग्राम पीपली चक थाना बिलारी मुरादाबाद की ईंट से वार कर हत्या करने के सम्बन्ध में थाना बिलारी पर तहरीर देकर मु0अ0स0-35/2025 धारा-103(1) बीएनएस बनाम 1-लालू उर्फ अजीत पुत्र श्रीओम 2-कुलदीप यादव उर्फ देशी पुत्र हीरालाल निवासीगण ग्राम पीपली चक थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद पंजीकृत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के तहत, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी, बिलारी, मुरादाबाद के नेतृत्व एवं पर्यवेक्षण में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीम का गठन किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में गठित पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम का सहयोग लेकर उक्त महत्वपूर्ण व सनसनीखेज घटना पर काफी मेहनत व सूझबूझ से लगातार कार्य किया गया। उक्त क्रम में थाना बिलारी पुलिस द्वारा आज दिनांक 23.01.2025 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित **अभियुक्त लालू उर्फ अजीत पुत्र श्रीओम निवासी ग्राम पीपली चक थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद** को गिरफ्तार किया गया, अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

लालू उर्फ अजीत पुत्र श्रीओम निवासी ग्राम पीपली चक थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

पूछताछ का विवरण--

अभियुक्त लालू उर्फ अजीत ने पूछने पर बताया कि वह और मृतक सुनील पहले भी कई बार एक साथ बैठकर शराब पी चुके है शराब पीने के बाद सुनील उसके साथ अभद्र भाषा (गालियों) का प्रयोग कर उसका मजाक उड़ाता था। इस पर अभियुक्त लालू के साथी भी उसका मजाक भी उड़ाते थे। इसकी कारण इन सब बातों से परेशान होकर अभियुक्त लालू उर्फ अजीत ने मृतक सुनील को रास्ते से हटाने की बात अपने मन मे ठान ली थी। दिनांक 20.01.2025 को उसने प्लान बनाया कि आज सुनील को अपने साथ शराब पीने के बहाने से लेकर जाएगा और गांव के बाहर जंगल मे ले जाकर उसकी हत्या कर देगा। योजना के अनुसार अभियुक्त ने मृतक सुनील को अपने साथ ले जाकर सैफनी में शराब की हट्टी पर पहले शराब पी। इसके पश्चात, सुनील को अपनी मोटरसाईकिल पर पीछे बैठाकर गांव की तरफ चल दिया, मृतक सुनील, पूर्व की भांति अभियुक्त लालू उर्फ अजीत को गांलियां दे रहा था। जब उसने गाली देने से मना किया तो सुनील ने पीछे से थप्पड मार दिये, जब विरोध किया तो सुनील ने अपनी बेल्ट निकालकर बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। इस पर मन्दिर के पास जाकर मोटरसाईकिल गिर गयी, दोनो भी मन्दिर के दीवार के बराबर मे गिर गये लेकिन सुनील ने बेल्ट से मारना बन्द नहीं किया, तब अभियुक्त ने वही पर मन्दिर की टूटी हुई दीवार की पडी ईंट उठाकर उसे मारने के लिये उसके सिर तथा चेहरे पर एक के बाद एक कई बार ईंटो से प्रहार किया जिससे सुनील वही पर ईंटो पर गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी।

बरामदगी का विवरणः-

अभि0 से घटना के समय पहनी काली रंग की टी शर्ट बरामद की गयी।

आपराधिक इतिहास – लाल सिंह उपरोक्त

मु0अ0स0-35/2025 धारा-103(1) बीएनएस थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

प्र0नि0 सतेन्द्र सिंह थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
नि0 श्री रामनरेश यादव थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
का0 नितिन कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
का0 प्रवीण कुमार थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद
का0 देवराज थाना बिलारी मुरादाबाद
का0 अरविन्द कुमार थाना बिलारी मुरादाबाद।